

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक—350 / 2015  
 संस्थित दिनांक—14 / 05 / 2015  
 फाईलिंग नम्बर—2304503004172015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

**विरुद्ध**

राजाराम देवना पिता मेहतरलाल देवना, उम्र 46 साल,  
 जाति तेली, निवासी ग्राम चरचेण्डी (मण्डई) थाना बिरसा,  
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक—16 / 02 / 2016 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338, 427 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—24.12.2014 को दिन के 11.00 बजे थाना रूपझर के अन्तर्गत ग्राम लौगुर के पास मोड़ में लोकमार्ग पर मिनी ट्रक क्रमांक—एम.पी. 50/जी—0526 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन से प्रभात वरकड़े को चोट पहुंचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन से फरियादी प्रभात वरकड़े की मोटरसाईकिल को ठोस मारकर नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की।

2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रभात वरकड़े ने दिनांक—01.01.2015 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक—24.12.2014 को वह अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.09—एन.आर—3706 होण्डा टुस्टर से पौनी से बालाघाट के लिये अमित मर्सकोले के साथ जा रहा था। मोटरसाईकिल को वह चला रहा था, जैसे ही लौगुर और पीर ढाबा के बीच में लगभग दिन के 11.00 बजे मेन रोड़ पर वह अपनी साईड से मोटरसाईकिल चला रहा था तभी बालाघाट तरफ से आ रहे मिनी ट्रक के चालक ने अपने ट्रक को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे वह और उसका मामा अमित मर्सकोले बांये तरफ गिर गये। ट्रक

चालक टक्कर मारने के बाद ट्रक को भगाकर बैहर की ओर ले गया कुछ देर ट्रक रुका था उसी समय उसने व उसके मामा ने ट्रक का नम्बर क्रमांक-एम.पी. 50/जी-0256 देखा था। ट्रक के टक्कर लगने से उसके दांये पैर के घुटने एवं पंजे में चोट आई थी और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी तथा उसके मामा के मुंह में हल्की से चोट आई थी तथा मोटरसाईकिल का माक्स तथा और भी पार्ट्स टूट फूट गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र रूपझर में ट्रक क्रमांक-एम.पी.50/जी-0526 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-02/15, धारा-279, 337, 427 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, वाहन का नुकसानी पंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। विवेचना के दौरान डॉक्टर की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में प्रभात वरकड़े को फ्रेक्चर होने से अन्तिम प्रतिवेदन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 का ईजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत प्रभात वरकड़े ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338, 427 का अपराध शमन किया जाकर शेष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के अपराध के अन्तर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.12.2014 को दिन के 11.00 बजे थाना रूपझर के अन्तर्गत ग्राम लौंगुर के पास मोड़ में लोकमार्ग पर मिनी ट्रक क्रमांक-एम.पी. 50/जी-0526 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— साक्षी/आहत प्रभात वरकड़े (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिसम्बर 2014 की है। घटना दिनांक को वह एवं उसके मामा अमित मर्सकोले मोटरसाईकिल पर बैठकर ग्राम पौनी से बालाघाट जा रहे थे तभी सामने से एक ट्रक के चालक ने उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। उक्त ट्रक को आरोपी चला रहा था। उक्त दुर्घटना में किसी गलती थी वह नहीं बता सकता। टक्कर लगने से उसके दांये पैर में चोट आकर फ्रेक्चर हो गया था। उसके मामा अमित को कोई चोट नहीं आई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना रूपझर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लेख नहीं किये थे। उक्त दुर्घटना में आरोपी की लापरवाही नहीं थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ने ट्रक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था जिसमें उसने ट्रक के ड्रायवर के द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनको सामने से टक्कर मार दी थी वाली बात बतायी थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— प्रकरण में अभियोजन की ओर से मात्र साक्षी/आहत प्रभात वरकड़े (अ.सा.1) की साक्ष्य कराई गई है जिसने अपनी साक्ष्य में स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय ट्रक व मोटरसाईकिल की टक्कर हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना में आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चालन किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव है। इस प्रकार अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

7— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर मिनी ट्रक क्रमांक-एम.पी.50/जी-0526 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मिनी ट्रक क्रमांक एम.पी.50/जी-0526 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्ददार मोहनसिंह तुरकर पिता खुशालसिंह तुरकर, उम्र 74 साल, जाति पंवार, साकिन मण्डई तहसील बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गये हैं जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझे जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट